पंचदश बिहार विधान सभा

षष्ठम् सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-03 — सोमवार, दिनांक-06 अगस्त, 2012 ई० ।

माननीय अध्यक्ष, श्री उदय नारायण चौधरी की अध्यक्षता में सभा की बैठक प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 01.10 बजे अप० तक ।

[1] प्रश्नोत्तर काल :-

(i) 01 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित ।
(ii) 20 तारांकित प्रश्न उत्तरित ।
(iii) 01 तारांकित प्रश्न अपृष्ठ ।
(iv) 53 तारांकित प्रश्न अनागत ।

[2] कार्यस्थगन :-

माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान, श्री अख्तरूल इसलाम शाहिन एवं श्री दुर्गा प्रसाद सिंह से पहला माननीय सदस्य श्री राम लषण राम ''रमण'' से दूसरा एवं माननीय सदस्य डा० अब्दुल गफूर से तीसरा कुल तीन अलग-अलग प्राप्त कार्यस्थगन की सूचना नियमानुकूल नहीं होने के कारण इसे अमान्य किए जाने की घोषणा आसन से की गई ।

[3] शून्यकाल :-

शून्यकाल की सूचना अन्तर्गत राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया :-

(i) श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा
(ii) श्री रामानन्द राम
(iii) श्री चन्द्रशेखर
(iv) श्री जवाहर प्रसाद
(v) श्री जनक सिंह
(vi) श्री चितरंजन कुमार
(vii) श्री मंजीत कुमार सिंह
(viii) श्री राम नरेश प्रसाद यादव
(ix) श्री संजय सिंह 'टाइगर'
(x) श्री ललन राम
(xi) श्री अरूण शंकर प्रसाद
(xii) श्री अशोक कुमार सिंह
(xiii) श्री विनोद प्रसाद यादव
(xiv) श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह
(xv) श्री कुमार शैलेन्द्र

[4] ध्यानाकर्षण सूचनाएँ :-

(i) माननीय सदस्य श्री अख्तरूल ईमान एवं अन्य सभासदों का जल संसाधन विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य द्वारा पढ़ा गया तथा प्रभारी मंत्री द्वारा इसका उत्तर दिया गया ।
(आसन से घोषणा की गई कि प्रतिवेदन उपस्थापन के बाद ध्यानाकर्षण सूचना पुनः लिए जायेंगे ।)

[5] सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-

(i) माननीय उपमुख्य (वित्त) मंत्री द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का वर्ष 2010-11 का अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यक) की प्रति को सदन पटल पर रखा गया तथा इसके जनता में बिक्री का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जो सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

(ii) माननीय उपमुख्य (वित्त) मंत्री द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का वर्ष 2010-11 का अंकेक्षण प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) की प्रति को सदन पटल पर रखा गया तथा इसके जनता में बिक्री का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जो सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

(iii) माननीय सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, श्री विजय कुमार मिश्र द्वारा समिति का 182वाँ प्रतिवेदन सदन पटल पर रखा गया ।

(iv) माननीय सदस्य श्री गजानन्द शाही द्वारा कृषि उद्योग विकास समिति का द्वितीय प्रतिवेदन सदन पटल पर रखा गया ।

(v) माननीय सभापति, शून्यकाल समिति, श्री अवनीश कुमार सिंह द्वारा समिति का 22वाँ, 23वाँ, 24वाँ, 25वाँ, 26वाँ, 27वाँ, 28वाँ एवं 29वाँ प्रतिवेदन सदन पटल पर रखा गया ।

[6] ध्यानाकर्षण सूचनाएँ :-

(ii) माननीय सदस्य श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार एवं अन्य सभासदों का गृह (आरक्षी) विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य द्वारा पढ़ा गया तथा प्रभारी मंत्री द्वारा इसका उत्तर दिया गया ।

(ध्यानाकर्षण सूचना के उत्तर के दौरान ही सदन की सहमति से सदन की अवधि का विस्तार ध्यानाकर्षण सूचना के उत्तर दिए जाने तक के लिए विस्तारित किया गया)

(भोजनावकाश के बाद)

समय 2.00 बजे अप० से 2.35 बजे अप० तक ।

[7] विधायी कार्य :- राजकीय विधेयक :-

(i) बिहार मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2012 :-

माननीय प्रभारी मंत्री (उप मुख्यमंत्री) श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

विचार के प्रस्ताव के स्वीकृति उपरांत खण्डशः विचार के क्रम में सभी खण्ड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया । विधेयक सदन द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ ।

(ii) बिहार लोक भूमि अतिक्रमण (संशोधन) विधेयक, 2012 :-

माननीय प्रभारी मंत्री श्री रमई राम द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

विचार के प्रस्ताव के स्वीकृति उपरांत खण्डशः विचार के क्रम में सभी खण्ड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया । विधेयक सदन द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ ।

(iii) <u>बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) विधेयक, 2012</u> :-

माननीय प्रभारी मंत्री श्री रमई राम द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुर:स्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

विचार के प्रस्ताव के स्वीकृति उपरांत खण्डश: विचार के क्रम में सभी खण्ड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया । विधेयक सदन द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ ।

(iv) <u>बिहार भूमि विवाद निराकरण (संशोधन) विधेयक, 2012</u> :-

माननीय प्रभारी मंत्री श्री रमई राम द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुर:स्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

विचार के प्रस्ताव के स्वीकृति उपरांत खण्डश: विचार के क्रम में सभी खण्ड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया । विधेयक सदन द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ ।

(विधायी कार्य के प्रारंभ होते ही विपक्ष के माननीय सदस्यगण सामूहिक बलात्कार मामले पर आसन से नियमन की मांग करते हुए वेल में आ गए और नारेबाजी करने लगे । आसन द्वारा उनसे बार-बार शांत होने और अपने सीट पर जाने का अनुरोध किया जाता रहा । विपक्ष के सदस्यगण नारेबाजी करते रहे और अपनी मांग को लेकर सदन से बहिर्गमन कर गए ।)

[8] <u>निवेदन</u> :-

आसन द्वारा घोषणा की गई कि आज के लिए स्वीकृत कुल-40 निवेदनों को सदन की सहमति से सम्बंधित विभागों को भेज दिए जाएँगे ।

तदुपरान्त सभा की बैठक मंगलवार, दिनांक 07 अगस्त, 2012 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई ।

पटना
दिनांक-06.08.2012

लक्ष्मीकान्त झा
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।